

राष्ट्रीय महिला नीतिका मसौदा फरि अटका

संदर्भ

राजनीति में महिलाओं के लिये एक-तहियाई आरक्षण से संबंधित राष्ट्रीय महिला नीतिका मसौदा जो कएनडीए सरकार के समय से ही मंजूरी की राह देख रहा है राजनीतिक रूप से विवादित प्रस्ताव के कारण पछिले एक साल से लंबित है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित नीतिको लेकर कई बैठकों के बाद जुलाई 2017 में वदिश मंत्री सुषमा स्वराज की अध्यक्षता में मंत्रियों के एक समूह द्वारा कुछ संशोधनों के साथ इसे पारित कर दिया गया था, तब से यह केंद्र सरकार की मंजूरी का इंतज़ार कर रहा है।

परमुख बदि

- सूत्रों के मुताबकि, नीतिका मसौदा मुख्य रूप से लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत आरक्षण और सभी स्थानीय नकियों में कम-से-कम 50 प्रतिशत आरक्षण की सफारिश के कारण लंबित है।
- महिलाओं की पहली राष्ट्रीय नीतिका मसौदा को 2001 में संशोधन कर अंतिम रूप दिया गया था। जुलाई 2017 में कयि गए दूसरे संशोधन में महिलाओं के कल्याण के लिये अधिकार-आधारित दृष्टिकोण, पछिली नीतिकी तुलना में बदलाव को दर्शाता है।
- अधिकारियों ने कहा कि मंत्रियों की बैठकों में इस बात को इंगति कयिा गया था कि 2001 की नीति में राजनीति में महिलाओं की भागीदारी अधिक सुनिश्चित करने के प्रवधान की कमी है।
- यह भी बताया गया कि लोकसभा में महिलाओं का मौजूदा प्रतिनिधित्व 11 प्रतिशत तथा विधानसभा में 9 प्रतिशत है, जबकि एनडीए घोषणापत्र में महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत आरक्षण का वादा कयिा गया है। मसौदा नीति तब से प्रधानमंत्री कार्यालय में अग्रिम कार्रवाई की राह देख रही है।
- मंत्रालय के अनुसार, भारत की डेटा प्रणाली काफी हद तक लैंगिकता के मामले में तटस्थ रही है। बेहतर नीति तैयार करने के लिये, विशेष रूप से गरीबी, आर्थिक भागीदारी, हिसा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, शासन और मीडिया से संबंधित मुद्दों पर डेटा को अलग-अलग कयिा जाना चाहिये।

मसौदा नीति

- इस नीतिका लक्ष्य है कि महिलाओं का राजनीतिक सकृतीकरण हो और उनके लिये सामाजिक-आर्थिक वातावरण तैयार हो ताकि वे अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकें, संसाधनों पर उनका नियंत्रण हो तथा लैंगिक समानता तथा न्याय के सिद्धांतों को स्थापित कयिा जा सके।
- नीति में ऐसे समाज की अभिकल्पना की गई है जहाँ महिलाएँ अपनी क्षमता का भरपूर इस्तेमाल कर सकें और जीवन के हर पक्ष में बराबरी का हक पा सकें। नीतिका लक्ष्य है कि महिलाओं के लिये एक ऐसा सकारात्मक सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक माहौल तैयार हो जिसमें महिलाएँ अपने मूल अधिकारों को प्राप्त कर सकें।
- मसौदा नीति सरकार की सभी तीन शाखाओं-वधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के साथ कॉरपोरेट बोर्ड में महिलाओं की उपस्थितिको बढ़ावा देने पर बल देती है।
- यह पुलिस बल में महिलाओं के लिये एक-तहियाई आरक्षण की आवश्यकता पर बल देती है तथा लिंग समानता की दृष्टि से मंत्रालयों में नीतित आवश्यकता का भी विवरण देती है।
- नीतिके कार्यान्वयन की नगिरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समितिके माध्यम से की गई थी। इसी प्रकार राज्य स्तरीय समितियों की स्थापना की जाएगी जिसका नेतृत्व संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री करेंगे।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मुताबकि, महिलाओं के लिये राष्ट्रीय नीतिका मसौदा अभी तक मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित नहीं कयिा गया है।
- मसौदा नीति में एक महत्वपूर्ण सफारिश की गई है जिसके तहत सभी मंत्रालयों से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों का लिंग-असंगत डेटा बनाया जाना अनिवार्य कयिा गया है।